प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में तारीख पेशी के दिन प्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे. लेकिन अधिवक्ता की उपस्थिति न्यायालय में दर्ज नहीं हो पाई। अत: पत्रावली को पुन: बहाल कर उसी नम्बर पर दर्ज कर पुन: सुनवाई हेतु मुकर्रर की जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मूल पत्रावली को पुन: बहाल कर उसी नम्बर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं. प्रार्थना पत्र निस्तारित समझा जावे। मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो